न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्राज सिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 13/2019 दायर दिनांक 24-12-2019

गंगाधर पुत्र मूलाराम जाति मेंघवंशी निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—आवेदक

वनाम

1. जुगल किशोर पुत्र पालाराम जाति कुमावत निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. मुकन्दा पुत्र मांगू जाति कुमावत निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. शंकरलाल पुत्र मांगू जाति कुमावत निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं०धारा 251 ए रा०का०अधि०

वकील आवेदक— श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील अनावेदक—श्री ——

निर्णय

दिनांक 12-11-2020

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि खाता संख्या नया 105 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.33 हैक्टर वाके ग्राम भोपतपुरा की तन में स्थित है तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी काश्त की भूमि खाता संख्या नया 62 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.45 हैक्टर वाके ग्राम भोपतपुरा तन परसरामपुरा में स्थित है, जिसकी खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 व अनावेदक संख्या 1 की माता गोरा देवी पत्नी पालाराम के नाम से दर्ज है, उक्त गोरा देवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस अनावेदक संख्या 1 है तथा काबिज है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

प्रार्थी/आवेदक के खेत खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.33 हैक्टर में आने-जाने के लिए मौके पर कोई रास्ता नही है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने खेम में काश्त करने में बडी कठिनाई का सामना करना पडता है। रास्ता नही होने की वजह से काश्त करने व सामान लाने-ले जाने में बडी परेशानी होती है, जबकि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत की संयुक्त खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.45 हैक्टर के दक्षिणी दिशा में ग्रेवल सडक स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा है व मौके पर चालू है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है, इसलिये प्रार्थी को अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.45 हैक्टर की पूर्व दिशा की सींव के सहारे–सहारे उत्तर–दक्षिण लम्बा रास्ता नजरी नक्शा मे लाल लाईन से जो दिखाया गया है, के अनुसार रास्ता 14 फीट चौडा मिलने पर प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने लाट–बाट करने, काश्त करने से सहूलियत रहेगी तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता भी है जो दिलवाया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी को अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.45 हैक्टर के पूर्व दिशा की सींव के सहारे–सहारे 14 फीट चौडा नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी रास्ता मौके पर अनावेदगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दिये जाने पर प्रार्थी अनावेदकगण की जमीन की कीमत डी.एल.सी. दर का दुगुना देने को तैयार है या जमीन के बदले जमीन देने के तैयार है या माननीय न्यायालय द्वारा तय रकम देने को तैयार है।

अनावेदक संख्या 4 बैंक है, जिसके यहां से अनावेदकगण ने ऋण ले रखा है, इस कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अनावेदक नम्बर 5 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा रास्ता नही देने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संशोधन अधिनियम के प्रभाव मे आने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे तथा आवेदक को आने–जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल लाईन से बताये गये बिन्दु ''ए'' से ''बी'' तक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.45 हैक्टर के पूर्वी सींव के सहारे–सहारे 14 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप से दर्ज किये जाने की कृपा करे तथा मौके पर रास्ता 14 फीट चौडा स्थापित करवाया जावें ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार राशि वहन करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायलय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ के क्रमांक/राजस्व/2019/1050 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि :–

1. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2448 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता 0.10 हैक्टर तथा बारीनी द्वितीय 0.12 हैक्टर जो मुकुन्दा वगैरह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर पर गै.मु. रास्ता की भूमि की जगह ग्रेवल सडक बनी हुई है। जो कि बिन्दु संख्या ''बी'' के पास से गुजरती है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि 2395 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2396 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता 14 फीट चाहता है, जो 56 x 5 = 280 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है जिसको संलग्न नक्शे में लाल पेन से दर्शाया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा कटान हेतु चाहा गया रास्ता के निकटम रास्ता खसरा नम्बर 2448 है तथा खसरा नम्बर 2547/2395 रकबा 0.01 प्रार्थीगण बनवारी पुत्र मूला, गंगाधर पुत्र मूला जाति मेघवाल की शामलाती भूमि है जो मौके पर रास्ते के काम आ रही है।

बहस वकील आवेदक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ की मौका रिपोर्ट से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2395 में आने जाने हेतु निकटतम कटानी रास्ता 2448 तक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2396 मे से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे से संलग्न नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेश में बिन्दु संख्या "ए" से "बी" तक 56 x 5 = 280 वर्गमीटर भूमि दिया जाना अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा भी उक्त रास्ते को ही चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्न नजरी नक्श में वर्णित चाहे गये रास्ता बिन्दु संख्या "ए"से "बी" तक दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भोपतपुरा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 2395 में आने जाने के लिये तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2019/1050 दिनांक 18.02.2020 में दर्शाय गये "ए" से "बी" बिन्दु तक नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम भोपतपुरा के ख.न. 2396 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दु "ए" से "बी" तक 56 x 5 = 280 वर्ग मीटर रास्ता की प्रभावित भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner